

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
जल भवन-बाणगंगा, म.प्र. भोपाल

क्रमांक/369 /स्था./अराज./लो.स्वा.यां.विभाग/2024

भोपाल, दिनांक 25/07/24

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/08/नियम/चार/दि. 24.01.2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार/दिनांक 24.09.2008 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ-11/17/2014/नियम/चार/भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-6/2020/2115/2018/नियम/चार/दिनांक 11.08.2020 के पैरा-7 में निहित प्रावधान अनुसार विभागीय पदोन्नति/समयमान वेतनमान समिति की अनुशंसा दिनांक 03.05.2024 के अनुसार निम्नलिखित राज्यस्तरीय संवर्ग के कर्मचारियों के सीधी भर्ती के उपयंत्री पद पर नियुक्ति से 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम-07 में दर्शाई गई दिनांक से कॉलम-08 में दर्शाए अनुसार तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

स. क्र.	कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यालय	प्रथम नियुक्ति दिनांक	प्रारंभिक वेतनमान (₹.)	वर्तमान वेतनबैंड/ म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 16 अंतर्गत लेवल (₹.)	28 वर्ष पूर्ण करने का दिनांक	पात्रता दिनांक	प्रथम समयमान वेतनमान में निर्धारित वेतनबैंड पुनरीक्षण नियम 16 अंतर्गत लेवल (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्री डी.के.कोरी, सहायक यंत्री, मण्डल खरगोन	20-07-92/ उपयंत्री	1600-2720	56100-177500 (Level-12) (5400)	20.07.20	20.07.20	67300-206900 (Level-13) (6600)

1/ सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति अनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा नियमानुसार संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से इसका अनुमोदन/परीक्षण अनुसार नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः कराने की कार्यवाही जाये, तदोपरांत ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

2/ तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत होने के फलस्वरूप कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

3/ उपरोक्त आदेश में कोई त्रुटि/विसंगति परिलक्षित होने पर तत्काल प्रमुख अभियंता कार्यालय को अवगत कराये, ताकि आवश्यक सुधार/संशोधन किया जा सके।

(के.के. सानिगरिया)

प्रमुख अभियंता

पृष्ठां.क्रमांक/7130 /स्था./अराज./लो.स्वा.यां.विभाग/2024

भोपाल, दिनांक 25/7/24

प्रतिलिपि :

1. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र इंदौर की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल खरगौन की ओर सूचनार्थ।
5. शाखा प्रभारी गोपनीय शाखा/स्थापना शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. श्री की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
7. आदेश नस्ती।

प्रमुख अभियंता